

पत्रांक-श्रम क० सं०-30/2015

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 05 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार के दर से ₹ 500000/- (पाँच लाख रूपए) एवं 01 आंशिक: निश्चयता के मामले में ₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 537500/- (पाँच लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) मात्र मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री मुमताज आलम, श्री फजुल रहमान, सामान्य	स्वयं	499/27.11.17	ग्रा०-हजियापुर वार्ड नं० 27, पो०+था०+प्र०+जि०-गोपालगंज	33740100 001118	बैंक ऑफ बड़ोदा, BARBOGOPALG	₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)	आंशिक निःशक्तता, पेंटर का कार्य
2	स्व० अबध किशोर मिश्रा, श्री विश्वनाथ मिश्रा, सामान्य	श्रीमती रिकु देवी(पत्नी)	501/27.11.17	ग्रा०-लुहसी, पो०-साथी, था०+प्र०-उचकागाँव, गोपालगंज	00013400 1005280	गोपालगंज सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, IBKL01011GC	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बेलडर का कार्य
3	स्व० श्रद्धानन्द मांझी, स्व० सिंहासन मांझी, अनु० जाति	श्रीमती बसंती देवी(पत्नी)	511/1.12.17	ग्रा०-लहलादपुर, पो०-पड़वा, था०+प्र०-मांझा, गोपालगंज	10050310 30003477	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बंगरा, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, सेन्टींग का कार्य
4	स्व० मनदेव यादव, स्व० राजवंशी यादव, पि० वर्ग	श्रीमती कमलावती देवी(पत्नी)	513/1.12.17	ग्रा०-मधसरेया, पो०-कोल्हुआ, था०+प्र०-मांझा, गोपालगंज	32889530 11	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मांझा, CBINOR281708	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, दुध बेचने का कार्य
5	स्व० नसीम अख्तर, स्व० सदिक् मियाँ, सामान्य	श्रीमती अमिरुल नेशा(पत्नी)	534/9.12.17	ग्रा०-बखरीर पचवटिया, पो०-कहेला, था०+प्र०-बरौली, गोपालगंज	10049510 30085954	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, धर्मपरसा, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, हेलपर का कार्य
6	स्व० निरज कुमार सिंह, सामान्य	श्री ललन सिंह(पिता)	536/9.12.17	ग्रा०+पो०-बतरदेह, था०+प्र०-बरौली, गोपालगंज	10052410 10001440	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, सरफर, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पशुपालन का कार्य

कुल :- ₹ 537500/-

(पाँच लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति व बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-30/2015 के पृष्ठ-37/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित के उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे।

यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 537500/- (पाँच लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-30/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को उनके पत्रांक 499, 501 दिनांक 27.11.17, 511, 513 दिनांक 1.12.17, 534 536 दिनांक 9.12.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-30/2015 - 11

पटना, दिनांक :- 02.01.2018

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।